संख्याः- 13/2021/678/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2021

प्रेषक,

कुलदीप सिहं,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0 प्र0नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊः दिनांक 30 जून, 2021**

विषयः- डीडीजी के अन्तर्गत आरईसी (भारत सरकार) को ऋण अदायगी हेतु आय व्ययक वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-070 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 18.66 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-548/यूपीनेडा- डीडीजी(8)/ आरईसी-ब्याज/2016-17, दिनांक 10 जून, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर0ई0सी0) ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु डी0डी0जी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 05 जनपदों की 25 परियोजनाओं के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त कुल परियोजना धनराशि में से 90 प्रतिशत ग्रान्ट एवं 10 प्रतिशत प्रदेश को ऋण प्रदान किया गया है। धनराशि राज्य सरकार को ऋण के रूप में स्वीकृत की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु राज्य सरकार, आर0ई0सी0 एंव यूपीनेडा के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त अनुबंध के अनुरूप राज्य सरकार को स्वीकृत ऋण के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि का त्रैमासिक ब्याज भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना वांछनीय है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में धनराशि रू0 18.66 लाख में से 50 प्रतिशत धनराशि रू0 9.33 लाख (रू0 नौ लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय /उपयोग राज्य सरकार, आर0ई0सी0 एवं यूपीनेडा के मध्य हुए त्रिपक्षीय अनुबंध में उल्लिखित मानक /दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिये नही किया जायेगा।

3- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना हेतु किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।

4- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

5- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31.03.2022 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यूपीनेडा द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2019-231/2021 दिनांक 22 मार्च 2021 तथा समय≤ पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -70 के अधीन लेखा शीर्षक-"2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-60-अन्य-800-अन्य व्यय-08-डिसेन्ट्रलाईज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन (डी0डी0जी0) कार्यक्रम के अन्तर्गत सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रामों का विद्युतीकरण-20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

9-यह आदेश वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2019-231/2021 दिनांक 22 मार्च 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(4) राज्य योजना आयोग-1
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ. प्र., प्रयागराज।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से ,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।